मध्य रेल सोलापुर मंडल

मासिक परिचालन पत्रिका

माह-जनवरी 2020 अंक 27

सक्षम अभियान

हमारा उद्देश्य

संरक्षा प्रथम, अंतिम एवं हर समय

महाप्रबंधक (म. रे.) के वार्षिक निरीक्षण के दौरान दौंड स्टेशन में परिचालन विभाग की तरफ से लगाई गयी प्रदर्शिनी का निरीक्षण करते हुए **प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक (म.रे.)**

सतर्क आदमी संरक्षा का सर्वोत्तम साधन है

कर्मचारियों द्वारा किये गए अच्छे कार्य

1. दिनांक 17.01.2020 को श्री संतोष कुमार गुड्स गार्ड दौंड को सवारी गाड़ी संख्या 71415 को कार्य करने हेतु पुणे से दौंड के लिए तैनात किया गया था. गाड़ी संख्या 71415 के दौंड प्लेटफार्म 2 में अन्दर आते हुए श्री संतोष कुमार गुड्स गार्ड दौंड ने किमी 267/1-2 में रेल ब्रेकेज देखा और तुरंत ही ऑन ड्यूटी उप स्टेशन प्रबंधक दौंड को सूचित किया. सूचना मिलते ही ऑन ड्यूटी उप स्टेशन प्रबंधक श्री ए व्ही बाविस्कर ने घटना स्थल पर जाकर रेल ब्रेकेज की पुष्टि की तथा घटना स्थल की ओर होने वाले मूवमेंट को रोका तथा सर्व संबधित को सूचित किया.

इस प्रकार ड्यूटी पर सजग रहते हुए श्री संतोष कुमार गुड्स गार्ड दौंड ने ड्यूटी के दौरान सराहनीय कार्य किया.

कर्मचारियों द्वारा किये गए ख़राब कार्य

1. दिनांक 03.01.2020 को दौंड यार्ड में शंटिंग के दौरान एक बीटीपीएन डिरेल हो गया. जांच के दौरान पता चला कि दौंड यार्ड का काँटा संख्या 17 डी सी मूवमेंट के दौरान बर्स्ट हुआ था और बाद में पॉइंट बर्स्ट होने के बाद बेक मूवमेंट के कारण डिरेलमेंट हुआ. दुर्घटना का कारण शंटिंग नियमों का पालन न करना सामने आया. इस घटना में काँटा संख्या 17 डीसी का रिवर्स पोजीशन में सेट न करने के कारण काँटा बर्स्ट हुआ और बाद में बेक मूवमेंट के कारण डिरेलमेंट हुआ. इस घटना में ड्यूटी पर उपस्थित पैनल ऑपरेटर, शंटिंगमास्टर, शंटर को शंटिंग नियमों का पालन न करने के कारण घटना के लिए जिम्मेदार पाया गया.

सामान्य तथा सहायक नियम 1999 का शुद्धिपत्र संख्या 20 के अनुसार सहायक नियम संख्या 5.23-1एवं 2 को संशोधित किया गया है जो निम्नानुसार है:-

सहायक नियम संख्या 5.23-1: स्टेशन पर वाहनों/ट्रेन/लोड को स्टेबल तथा सुरक्षित करना :-

जबवाहनों/ट्रेन/लोड को स्टेशन पर स्टेबल किया जाना हो तो स्टेशन मास्टर/यातायात कर्मचारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :-

1. स्टेशन पर लोड स्टेबल के दौरान सभी वाहनों/गाड़ियों/लोड को इस प्रकार अवश्य खड़ा तथा सुरक्षित किया जाए जिससे वे किसी रनिंग लाइन का उल्लघन न करे.
2. स्टेबल लोड/ट्रेन के वाहन को एक साथ जोड़कर रखना चाहिए . यदि स्टेबल लोड को किसी कारणवश अलग अलग करना हो तो प्रत्येक अलग भाग को स्थिर करने के उद्देश्य से अलग अलग लोड माना जायेगा.
3. वाहन/ट्रेन लोड को दोनों सिरों पर कम से कम दो जंजीरों (प्रत्येक सिरे पर एक) से बाँधकर तालित किया जाना चाहिए. सुरक्षा जंजीर को ट्राली फ्रेम और पटरी के वीच दो बार लपेटकर बांधना चाहिए ताकि तालों पर किसी प्रकार का जोर न पड़े.

4. दोनों सिरों के बाह्यतम पहियों के नीचे कम से कम चार वुडेन वेजेज (प्रत्येक सिरे पर दो) का उपयोग किया जाना चाहिए.
5. दोनों सिरों के कम से कम छः वैगंस के हैण्डब्रेक पूरी तरह से कस दिए जाएँ तथा ब्रेकयान/एसएलआर के हैण्डब्रेक को अवश्य लगाना चाहिए.
6. घिरी लाइन के विरुद्ध तथा डेड एंड या ट्रैप पॉइंट के तरफ, यदि कोई है तो सभी सम्बंधित कांटो को सेट, क्लैंप तथा तालित अवश्य कर देना चाहिए तथा ताले की चाबी स्टेशन मास्टर के पास रखी जाए.
7. सम्बंधित सिग्नलों तथा पॉइंट बटन/स्लाइड/लीवर इत्यादि के ऊपर बटन कॉलर /लीवर कॉलर/स्लाइड पिन अवश्य रखा जाये.
8. जहाँ संभव हो, वाहनों/ट्रेन/लोड को उन लइनों पर स्टेबल करना चाहिए जो अन्य लइनों से विशेष रूप से रनिंग लइनों से पृथक हों.
9. वाहनों/ट्रेन/लोड को स्टेशन स्टाफ जैसे- पॉइंट्समेनअथवा अन्य स्टाफ जो शंटिंग हेतु नियुक्त किया गया है द्वारा, गार्ड अथवा ऑन ड्यूटी एस एम/एएसएम अथवा शंटिंग प्रभारी के व्यक्तिगत निगरानी में सुरक्षित किया जाये.
10. उपरोक्त सन्दर्भ में टीएसआर तथा/या स्टेशन मास्टर डायरी में लाल स्याही से "लाइन नंबर .....ब्लॉक है तथा लोड स्टेबल करने के लिए नियमों में वर्णित सभी सावधानियां ली गयी है". ऐसा रिमार्क लिखा जाए. स्टेशन मास्टर लोड स्टेबल रजिस्टर में भी आवश्यक प्रविष्टियाँ करेगा.
11. स्टेशन मास्टर को वाहन/लोड/ट्रेन को स्टेबल करने के पश्चात खंड नियंत्रक को प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के साथ इस सन्दर्भ में सूचना देगा कि वाहनों/लोड/ट्रेन के स्टेबल एवं सुरक्षित करने के लिए निर्धारित सभी सावधानियां ली गयी हैं.
12. प्रत्येक शिफ्ट में चार्ज लेने के पश्चात स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर पॉइंट्समेन को इस बात को सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त करेगा कि स्टेबल लोड को उचित रूप से सुरक्षित किया गया है, यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो पॉइंट्समेन स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा तथा अनियमितता को दूर किया जायेगा.

यार्ड में वाहनों/ट्रेन/लोड को स्टेबल तथा सुरक्षित करना:-

सहायक नियम 5.23-2 :-

क. स.नि. 5.23-1 में वर्णित (1) से लेकर 10 तक सावधानियां यार्डों में रनिंग लाइनों वाहनों/ट्रेन/लोड स्टेबल तथा सुरक्षित करते समय लागू होंगे.

ख. स.नि. 5.23-1 में वर्णित (1) से लेकर 10 की सावधानियां जिसमें **(3) को छोड़कर**, यार्डों के **नॉन रनिंग लाईनों** पर वाहनों/ट्रेन/लोड को स्टेबल तथा सुरक्षित करते समय लागू होंगे.

सहायक नियम 6.05-2;----

ख). सहायता इंजन (यात्री अथवा मालगाड़ी के लिए) मांगने के पश्चात यदि लोको पायलट खराबी ठीक कर ले और को दुवारा चलाने की स्थिति में है तो-

i. लोको पायलट खंड नियंत्रक से ईएँफ़टी/पीएफटी/मोबाइल फोन पर अनुमति मांगेगा.

ii. खंड नियंत्रक, दोनों ओर केस्टेशन मास्टरों से प्राइवेट नंबर प्राप्त कर यह पुष्टि करेगा कि प्रभावित ब्लॉक सेक्शन के दोनों ओर से कोई भी सहायता इंजन प्रवेश नहीं किया है.

iii. वह लोको पायलट को गाड़ी स्टार्ट करने हेतु ट्रेन नोटिस नंबर तथा प्राइवेट नंबर्स (टेलीफोन द्वारा तथा/या मोबाइल सन्देश द्वारा) सूचित करेगा.

iv. लोको पायलट इस सन्देश को गार्ड को देगा तथा अपनी गाड़ी, सन्देश में वर्णित स्टेशन तक सतर्कतापूर्वक ले जायेगा.

v. पुशिंग बेक के मामले में सहायक नियम 4.12-4 का अनुपालन किया जाये.

vi. लोको पायलट तथा गार्ड तबतक अपनी गाड़ी को स्टार्ट नहीं करेगा जबतक वह खंड नियंत्रक से ट्रेन नोटिस नंबर तथा प्राइवेट नंबर्स प्राप्त नहीं कर लेता.

नोट:टेलीफोन द्वारा ट्रेन नोटिस नंबर तथा प्राइवेट नंबर्स लेने के अलावा खंड नियंत्रक लोको पायलट को निम्नलिखित प्रारूप में सन्देश जारी करेगा(यदि मोबाइल संचार उपलब्ध हों).

प्रति,
लोको पायलट एवं गार्ड ..... गाड़ी नंबर
आपको एततद्वारा सतर्कतापूर्वक ..... स्टेशन पर जाने की अनुमति दी जाती है,
ब्लाक सेक्शन के दोनों ओर से कोई सहायता इंजन नहीं भेजा गया है,
टी.एन. नंबर .....
प्राइवेट नंबर .....स्टेशन (पिछला)
प्राइवेट नंबर .....स्टेशन (अगला)

सहायक नियम 3.26-2 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:-

स.नि. 3.26-2 :-जब कभी किसी नए सिग्नल का इस्तेमाल प्रारंभ किया जाए या वर्तमान सिग्नल का स्थान बदला जाए, जिससे गाड़ियों के चलन पर असर पड़े तो स.नि. 4.09.-1 के अनुसार नये सिग्नल का इस्तेमाल करने या वर्तमान सिग्नल का स्थान बदलने के बाद 30 दिनों की अवधि तक लोको पायलटों का ध्यान इस परिवर्तन की ओर आकर्षित करने के लिए सतर्कता आदेश जारी किया जाना चाहिए.

*****

सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी

संकलन : आर.बी.सिंह यातायात निरीक्षक दौंड.
सहयोग : पी आर नायर यातायात निरीक्षक (संरक्षा) सोलापुर.

संरक्षा प्रथम, अंतिम एवं हर समय